

15/11/25 आधिवक्ता अपीलान्त अनु आधिवक्ता
अपीलान्त एवं उनेक अधिवक्ता के
न्यायालय की ओर से बार-बार आगे
लगाने के बावजूद उनकी ओर से कोई
उप. नहीं आये। अतः फावली अदम
डाजरी व अदम पैरवी में खारिज
की जाती है। फावली फेमल शुमार
डोउर नम्बर से कम डोउर दाखिल
दफ्तर है।